कानून किरन
KANOON KIRAN

National Fortnightly Bilingual News Paper for law, Justice & Company Affairs

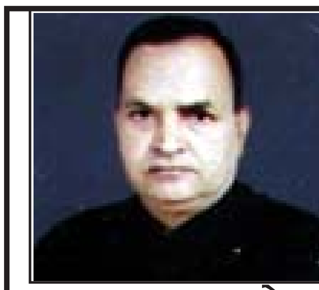

डा. एस.एन. पाण्डेय
सम्पादक, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय
चेम्बर नं. C-105, ग्राउंड फ्लोर,
हाई कोर्ट, मो. 9450357128
advsnp.011@gmail.com
5/158, विराम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

वर्ष : 22 अंक : 04 लखनऊ 16 से 28 फरवरी–2022 पृष्ठ : 8 मूल्य 7 रूपये

संपत्ति पर कब्जा करने वाला उसका मालिक नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एनवी रमणा और एमएम शांतनागौडर की पीठ ने फैसले में कहा कि कोई व्यक्ति जब कब्जे की बात करता है तो उसे संपत्ति पर कब्जा टाइटल दिखाना होगा और सिद्ध करना होगा कि उसका संपत्ति पर प्रभावी कब्जा है। लेकिन अस्थायी कब्जा (कभी छोड़ देना कभी कब्जा कर लेना या दूर से अपने कब्जे में रखना) ऐसे व्यक्ति को वास्तविक मालिक के खिलाफ अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा प्रभावी कब्जे का मतलब है कि ऐसा कब्जा जो पर्याप्त रूप से लंबे समय से हो और इस कब्जे पर वास्तविक मालिक चुप्पी साधे बैठा हो। लेकिन अस्थायी कब्जा अधिकृत मालिक को कब्जा लेने से बाधित नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि संपत्ति पर कभी कभार कब्जा कर लेना या उसमें घुस जाना, जो स्थायी कब्जे में परिपक्व नहीं हुआ है, उसे वास्तविक मालिक द्वारा हटाया जा सकता है और यहां तक कि वह आवश्यक बल का भी प्रयोग कर सकता है। कोर्ट ने कब्जेदार का यह तर्क भी ठुकरा दिया कि

CJI NV Ramana

लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 64 के तहत मालिक ने कब्जे के खिलाफ 12 वर्ष के अंदर मुकदमा दायर नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि यह समय सीमा प्रभावी / सेटल्ड कब्जे के मामले में ही लागू होती है और अस्थायी कब्जे के मामले में नहीं।

मेडिकल लापरवाही का शिकार होने पर क्या करें ?

किसी भी डॉक्टर या अस्पताल पर अगर लापरवाही के लिए उपभोक्ता की तरह ही कन्ज्यूमर कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकते हैं।

चूंकि कंज्यूमर कोर्ट में किसी भी केस की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक को कंज्यूमर होना जरूरी है, इसलिए अस्पताल या डॉक्टर का इलाज कराने के बाद कुछ बिल जरूर चुकाएं। ऐसा करने से ही आप कंज्यूमर माने जाएंगे। डिस्चार्ज समरी के साथ ही ट्रीटमंट रेकॉर्ड भी मांगें। अगर वह न मिले तो दवाइयों के बिल साथ रखें। जिस डॉक्टर से इलाज हो रहा है उसका नाम जरूर पता कर लें और पूरे डेजिग्नेशन के साथ उसे नोट करके रख लें। अगर इलाज के सही न होने का संदेह है, तो किसी दूसरे डॉक्टर से राय लें। इसके साथ ही डॉक्टर या हॉस्पिटल बदल दें और प्राथमिकता रोगी के इलाज को दें। एक बार मरीज को आराम मिल जाए उसके बाद ही किसी भी तरह के प्रोसेस को शुरू करें। किसी भी तरह की एक्सपाइरी दवा के इस्तेमाल पर तुरंत शिकायत करें।

जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या डॉक्टर से इलाज कराया है और उसके लिए आपकी कंपनी या बीमा कंपनी ने इलाज के पैसे दिए हैं फिर भी कंज्यूमर माना जाएगा। जिन सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट वॉर्ड हैं और इसकी सर्विस के लिए भुगतान किया गया है तो भुगतान करने वाला कंज्यूमर की श्रेणी में आएगा। ऐसे में निम्नलिखित को शिकायत कर सकते है। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिख कर दें और मामले की जांच का अनुरोध करें और नुकसान की भरपाई की मांग करें।राज्य मेडिकल काउंसिल और इंडियन मेडिकल काउंसिल को शिकायत करें। ये दोनों गवर्निंग बॉडी हैं और दोषी डॉक्टरों, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के विरुद्ध आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई कर सकती हैं।

कंज्यूमर कोर्ट में लापरवाही का मामला दर्ज कर सकते हैं और इलाज की राशि, हर्जाने और मानसिक कष्ट के लिए मुआवजे के साथ ही कानूनी खर्च की मांग कर सकते हैं।

जब न हों पूरे दस्तावेज - सभी बातों को पूरे विवरण के साथ लिखें और लोकल कोर्ट से इलाज के कागजात मांगने और डॉक्टर का नाम-पता बताने के लिए हॉस्पिटल को निर्देश देने के लिए कहें। जानकारी देने का दायित्व अस्पताल पर होता है।

मेडिकल लापरवाही साबित करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होती है। यह ओपिनियन किसी डॉक्टर या किसी सरकारी हॉस्पिटल से ले सकते हैं। यदि मुमकिन हो तो कोर्ट में केस दर्ज करके अदालत से ही एक्सपर्ट ओपिनियन मंगवाने की प्रार्थना करें। कोर्ट कभी-कभी सरकारी हॉस्पिटल या मेडिकल काउंसिल से भी ओपिनियन लेती है।

For Proper and Fair Investigation Approach Under 156 (3) CrPC Not Article 226: Allahabad HC

"THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM MANDATES THAT ANY INVESTIGATION INTO THE CRIME SHOULD BE FAIR, IN ACCORDANCE WITH LAW AND SHOULD NOT BE TAINTED.The Court also referred to the Judgments in the case of SakiriVasu vs. State of U.P. and others, SudhirBhaskarRaoTambe vs. HemantYaswantDhage , VinubhaiHaribhaiMalviya and others vs. State of Gujrat and another and held that if an informant/ petitioner is aggrieved that proper/ fair investigation is not being done by the investigating officer, then he/ she may approach the concerned Magistrate by moving an application under Section 156(3) Cr.P.C. for appropriate orders instead of invoking writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India

किसी संपत्ति से बेकब्ज़ा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद

जब कभी संपत्ति से किसी व्यक्ति को बेकब्जा किया जाता है या उसे निकाल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के माध्यम से वह न्यायालय की शरण ले सकता है। इस अधिनियम के माध्यम से वह कब्जे के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी सहमति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह अथवा उसके उत्पन्न अधिकार द्वारा दावा कर सकें , कब्जा, वाद द्वारा प्रत्युद्धरण कर सकेगा। यदि व्यक्ति का किसी संपत्ति पर कब्जा है तो कब्जे के स्त्रोत पर ध्यान दिए बिना उसके कब्जे को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा है तो उसे केवल कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार यह धारा लोगों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकती हैतथा उसे संरक्षण प्रदान करती है । यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के वर्तमान कब्ज़े के विरुद्ध किसी हक का दावा करता है तो वह कानूनी प्रक्रिया द्वारा दावा सिद्ध करके ही कब्जा प्राप्त कर सकता है। इस धारा के अंतर्गत कब्जा पुनः प्राप्त करके वही व्यक्ति वाद करने का अधिकारी है जिसका कब्जा वैध हो।

कानूनी संपत्ति के अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई

जो लोग एक अवैध गतिविधि के अंत में रहे हैं, वे कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत राहत की मांग कर सकते हैं। सबसे पहले, आपको पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पास एक लिखित शिकायत दर्ज करनी चाहिए, जहां संपत्ति स्थित है। यदि एसपी शिकायत को स्वीकार करने में विफल रहता है, तो संबंधित अदालत में व्यक्तिगत शिकायत दर्ज की जा सकती है।

आप इसके बारे में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 145 के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आप विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत राहत की मांग कर सकते हैं, जिसके तहत अपनी संपत्ति से बेदखल व्यक्ति पिछले कब्जे और बाद में अवैध कब्जे को साबित करके अपना अधिकार वापस ले सकता है।

प्रतिकूल कब्जे का दावा कौन कर सकता है? एक व्यक्ति जो मूल मालिक नहीं है, एक संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है, अगर वह कम से कम 12 वर्षों के लिए संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, जिसके दौरान मालिक उसे बेदखल करने के लिए कोई कानूनी प्रयास नहीं करता है।

कब्जे का हस्तांतरण क्या है? कब्जे का हस्तांतरण किसी संपत्ति के कब्जे में परिवर्तन या चूक को संदर्भित करता है।

शेर के साथ रहोगे, तो वह जीवन से संघर्ष करना सिखाएगा, बहादुरी के साथ जीना और स्वयं लक्ष्य प्राप्त करना सिखाएगा। लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे, तो वो हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। दूसरे का बोझा ढ़ोना या फिर मार खाकर खुश रहना सिखाएगा ।अन्याय के विरुद्ध न्याय पाने की पूरी चेष्टा करो, विश्वास रखो, जल्दी ही सफलता पद चूम लेगी।

डा0 शेष नारायण पाण्डेय, अधिवक्ता, हाई कोर्ट, लखनऊ।
अध्यक्ष , विजय श्री लीगल लिंक - ला कंपनी

Editorial..................

CONTROL OF HIGH COURTS OVER DISTRICT COURTS

Dr. S.N.Pandey
Editor

The Constitution provides for three tier Judicial System of Courts. The Ground Floor is given to the District Courts. The High Courts occupy the First Floor. The Top-Floor is allotted to the Top Court - The Supreme Court. The importance of the Ground Floor cannot be undermined. Infact, it provides the foundation. If the foundation is strong, the strength will automatically flow up-wards. The District Judiciary plays an important role. The trust and the confidence of the people in the District Judiciary is the sine qua non of our Judicial System. One of the serious concern has been the District Judiciary. Article 235 of the Constitution. It speaks of control of High Courts over District Courts and Courts Subordinate thereto. The District Judiciary is one unit, a wholesome unit. In exercise of its jurisdiction, each Court is independent and is not subordinate or inferior to any other Court. There cannot be any interference so far as the exercise of jurisdiction is concerned. The order/judgment of each Court is subject to the statutory right of appeal. The appellate Courts can interfere with the orders / judgments if they are not found to be in accordance with law. All Courts are independent. No Court can claim jurisdiction of any kind over another Court. Accordingly, the expressions subordinate Courts and inferior posts militate against the exercise of independent jurisdiction of its own.

LEGAL ONE LINERS FOR JUDICIAL SERVICE ASPIRANTS

1. Period of limitation for filing suit for declaration is three years.
2. On 11-4-2018, the Supreme Court in Ashok Pande v. Supreme Court of India reaffirmed the position of the Chief Justice of India as the head of the institution.
3. The High Court has the power to issue writ for the enforcement of a legal right.
4. An application under order 9 rule 13 CPC can be made within 30 days of the decree.
5. Set off can be claimed in recovery of money suit only.
6. An assembly of five or more persons having common object to commit an offence is known as unlawful assembly.
7. The President appoints the Attorney General for India.
8. When a new defendant is added in the suit, the suit shall be deemed to have been instituted against him from the date of his addition.
9. Suspension or termination of proceedings in an action for want of proper parties is known as Abatement.
10. All evidences taken in the course of trial or other proceeding must be taken in the presence of the accused or when his personal attendance has been dispensed with, in the presence of his pleader.
11. When an accused person is pardoned under section 306 of the Code of Criminal Procedure, 1973, he becomes a witness for the prosecution.
12. A warrant of arrest may be executed at any place in India.
13. Effect of compounding of the offence on the accused in a criminal case is his acquittal.
14. A woman who institutes and carries on proceedings in a criminal court is known as Prosecutrix.
15. Under CPC 1908, the pleading must state the facts and not the law.
16. Recording of Confession and Statements under section 164 Code of Criminal Procedure, 1973 may be recorded either by Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate.

STEPS IN FAIR INVESTIGATION

The investigation which is an extensive process of collection of evidence of a crime, generally begins with the recording of the First Information Report which in fact sets not only the criminal law but also investigation in motion. Investigation has to be done not only swiftly, chronologically but also impartially and in a manner dispelling any kind of suspicion either with regard to the result of investigation but also in respect of the identity or prima facie guilt of the accused. Therefore, it must be done with due care and caution and proceeded with not only methodically but also scientifically in consonance and conformity with forensic sciences. Hence, the Police Officer should possess thorough knowledge of the science of investigation.

The Investigation includes all the proceedings under CrPC code for the collection of evidence conducted by the Police Officer or any persons authorized by a Magistrate. This is not exhaustive but inclusive in nature and content. By Investigation, it means, criminal investigation, a statutory process through which the proof of an offence is established in a criminal court. It is the Police Officer who has the prerogative right to investigate a crime which is cognizable in nature. It is a sacred duty of the police to investigate. STEPS In FAIR INVESTIGATION, Normally consist Proceeding to the spot of the event; Ascertainment of the facts and circumstances of the case; Discovery and arrest of the suspected offender; Collection of the evidence relating to the commission of the offence which may consist of: An examination of various persons including the accused and recording their statements if the investigating officer thinks it is necessary. The search of places, seizure of things considered necessary for the investigation and to be produced at the time of trial. Formation of opinion as to whether it is a fit case for the accused to be sent up for the trial and if so, taking steps to file a charge sheet. Summoning and examining the persons who are acquainted with the circumstances of the case. Preparation of site plan of occurrence. Arresting the suspected offender. Ultimately submitting the charge sheet or challan under section 173 of Cr. P.C to the court.

The section 156 of the criminal procedure code statutorily empowers the police to investigate cognizable offences without any sanction or order from the Magistrate. They are not under the control of the courts or any judicial authority during the course of investigation. No Magistrate however superior has the powers either to interfere with or suspend the police investigation into a cognizable offence. The powers of the Police are absolute in this respect. The Magistrate could intervene directing the police to investigate or to order an inquiry into the case only if the police decide not to investigate the case.

The investigator should collect all the relevant objects such as blood-stained samples, finger prints, clothes, weapon of the offence from the scene of offence and send them to the court concerned under form no.91 of the police standing orders without much delay. The alacrity and agility of the investigators are necessary for these arduous tasks of investigation.

The success of the prosecution depends upon successful investigation which should be formal and impartial. The chain of events and evidence as disclosed by investigation should be continuous and any missing link will be fatal to prosecution. The entire process of investigation which begins with the collection of evidence under section 156 of CrPC ends with a report or charge sheet under section 173 of CrPC.

All the steps of investigation must be reduced into writing in the case diary then and there, without giving any kind of suspicion regarding manipulation or interpolation. It should be chronologically entered because the court has the right to look into it to find out the truth or falsity of any claim made by the accused with regard to his arrest, recovery of material objects etc. Each and every step of investigation should be true and genuine. It should also appear to be above normal criticism that may be levelled by the defense. There should not be any loose ends left untied in the investigation.

A fair, true and impartial investigation will certainly bring the desired result for the success of the prosecution.

FURTHER INVESTIGATION -

The Magistrate can order further investigation under section 173(8) of CrPC. It is now a well settled principle of law that when a final form is filed by any investigating officer in exercise of his power in section 173(2) of CrPC, the first informant has to be given notice. He may file a protest petition which in a given case may be treated to be a complaint petition. On the basis thereof, after fulfilling the statutory requirements, cognizance may be taken by the learned Magistrate on the basis of the material placed on record by the investigating agency. It is also possible for a learned Magistrate to direct further investigation. The investigating officer upon further investigation would file an FIR in respect of a cognizable offence and would file a police report [Kishan Lal Vs Dhrmendra Bafna, AIR 2009 7 SCC 685].

When can Section 173(8) of CrPC be invoked?

The investigating officer may exercise his statutory power of further investigation in several situations as, for example, when new facts come to his notice; when certain aspects of the matter had not been considered by him and he found that further investigation is necessary to be carried out from a different angle, keeping in view of the new facts uncovered. Apart from the aforementioned grounds, the learned Magistrate or the superior courts can direct further investigation, if the investigation is found to be flawed Carrying out a further investigation even after filing of the charge sheet is a statutory right of the Police.

विजय श्री लीगल लिंक

VIJAISHREE LEGAL LINKS(V.L.L.)

INDIA'S LEADING LEGAL GROUP

Head Off- 5/158 , VIRAM KHAND, GOMTI NAGAR , LUCKNOW
Email- vijayshreelegallink @ gmail.com
Website- www.vijayshreelegallink.com,
Mob- 9473652958, Whatsapp- 9450357128

विजय श्री लीगल लिंक, अनुभवी अधिवक्ताओं द्वारा लोगों को कानूनी सलाह एवं सहायता दिलाने हेतु पंजीकृत ट्रस्ट है। विभिन्न मामलों जैसे सिविल सर्विस क्रिमनल, कन्ज्यूमर, परिवारिकविवाद, टैक्सेसन और राजस्व सम्बन्धी मसलों पर उस विषय के अनुभवी अधिवक्ताओं की टीम द्वारा पूरी सलाह एवं सहायता दी जाती है।

ABOUT US -

VIJAISHREE LEGAL LINKS [V.L.L] is a full-fledged legal organization based at Lucknow and other districts of U.P. The law group is active, effective, and successful, equipped by its well-established office. Its legal faculties are well-learned, vastly experienced and expert lawyers, who possess varied expertise in diverse legal branches and fields. We focus on improving the better legal help aid and advice through legal experts and experienced advocates .We leave no stone unturned to give a better tomorrow to the needy litigants . Our Endeavour is to reach and help the underprivileged poor needy people to assure a better future to them to get proper legal support.

OBJECTIVES -Legal assistance is a basic need for all and we plan to give best legal assistance ,aid & advice, by a team of regular/ special panel of advocates ,from different fields e.g.- civil ,service ,criminal matters ,taxation ,NGOs, Constitutional and PIL matters.

OUR BELIEVES

Confidentiality , Commitment , Communication Professional Excellence

Only the Best, Our work is client focused.

We believe in a strong relationship with clients.

Teamwork We value teamwork and co-operation both within our Groups and with our clients. We encourage our people to work as teams in providing services to clients, rather than as individuals, in order to optimize the level and quality of service without increasing costs.

Areas of practice:-

VIJAISHREE LEGAL LINKS[V.L.L]include the lawyers dealing with the following areas of practice:-

IT IS AN ASSOCIATION OF ADVOCATES, WHO PROVIDE THE ANY TYPE OF LEGAL SERVICES ALL OVER INDIA BASED AT LUCKNOW.

We always prefer to give assistance in the Honble High Court Lucknow Bench, Tribunals,Board of Revenue ,Debt Recovery Tribunals and Consumer Dispute Redressal Commission U P,

o Civil and Criminal lawso Corporate and Commercial law
o Matrimonial Dispute o Real Estate and Construction laws
o Educational MattersProperty MattersoLand Acquisition
o Social & Public Interest Litigation

Pro Bono VIJAISHREE LAW LINKS [V.L.L], undertakes various socio-legal projects for the welfare of public at large. Our associates are required to devote at least 10 percent of their billable hours in pro bono activities. We work in association with various social organizations.

Procedure For Legal Assistance .-

(a)- Contact with all documents [original or photocopies],which are related with the case. Free consultation for Card Holders .After registration proper legal opinion will be given on matter by experienced experts.If required legal assistance and advocacy will be provided on reasonable expenses

फीस व खर्चे–

1. पंजीकरण शुल्कमात्र 500/सौ रूपये जो 3 वर्ष तक मान्य होगी।
2. केस की प्रकृति व स्टेज के आधार पर रियायती फीस देय होगी।

फीस में रियायतः जो लोग किन्ही कारणों से कम शुल्क दे पाते है। उन्हें ट्रस्ट अपने लीगल एड फन्ड से फीस में रियायत देती है जिस से हर पीड़ित पक्षकार की कानूनी मद्द की जा सके।

सम्बन्धित मामले जिनमें सहायता दी जायेगी

सम्बन्धित मामले–1. सर्विसमैटर, हाईकोर्ट व सर्विसट्रिव्यूनल।
2. फौजदारीवाद–जमानत अपील, एफ0आई0आर0 आदि।
3. सिविल सम्बन्धित मामले–बैंकरिकबरी, क्लेम व चकबन्दी।
4. रेवन्यू मामले। 5. परिवारिक मामले कोर्ट मैरिज,दहेज, तलाक व भरण पोषण।
6. रजिस्ट्री ट्रस्ट बनाना वसीयत किरायानामा व एग्रीमेंन्ट।

PERSONALITY & ACHIEVMENTS

ABOUT DIRECTOR-Dr. SheshNarainPande , is a practicing Advocatein Civil ,Service and Criminal cases related to High Courts and Tribunals, drafting various kinds of agreements, arbitration. He is a Director of National Academy for Law & Justice, which is a reputed Academy . Dr pande is Chairman of National Mission for Criminal Justice. He is General Secretary of the High Court Lawyers Association..He is recipient of Bharat Jyoti Award , 1996, Dr Rajendra Prasad Memorial Award in 2002. National Consumer Award in 2005. Pride of India Award 2008, ManvadhikarChetna Award 2014. Pride OfHonour AWARD -2021 From FORUM FOR LAW & JUSTICE.

डॉ. एस. एन. पाण्डेय वरिष्ठ परामर्शदाता व अधिवक्ता है। उच्च न्यायालय लखनऊ मे वर्ष 1986 से सेवारत है और उच्च न्यायालय लायर्स एसोसिएसन के अध्यक्ष है। भारत सरकार के स्थायी अधिवक्ता तथा विभिन्न कारपोरेशन, बैंको व औद्योगिक संगठनों के साथ ही शैक्षिक संस्थाओं व कई प्रतिष्ठित चिकित्सालयों के स्थाई अधिवक्ता है। महिला सशक्तिकरण मिशन, लखनऊ, के विधिक सलाहकार है। एश्पीश्र नेशनल ला इंस्टिट्यूट लखनऊ के वर्तमान निदेशक है। डॉ. पाण्डेय को संवैधानिक तथा आपराधिक न्याय संबंधी उत्कृष्ठ योगदान हेतु मेडल व सम्मान पत्र प्रदान किया गया है। बीस वर्ष से अधिक समय से लोकप्रिय कानून किरन पाक्षिक समाचार पत्र के संपादक व प्रकाशक है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा विधिक वार्ताओ व साक्षात्कार का भी प्रसारण किया जाता रहा है। हाइकोर्ट चैम्बर –सी –105, ग्राउन्ड़ फ्लोर लखनऊ तथा आफिस –5/158, विराम खंड गोमती नगर लखनऊ।

केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता

कानूनी मुफ्त सलाह

क. केन्द्र पर आकर–सुबह 07:00 से 08:00, सायं 06:00 बजे से 09:00 बजे तक रविवार 2:00 से 06:00 बजे के बीच समस्या से सम्बन्धित कागजात की फोटो कापी, अपनी आई0डी0 व दो फोटोग्राफ के साथ सम्पर्क कर पंजीकरण कराएं।

ख. मोबाइल पर सलाह–

व्हाट्स एप न 9450357128 पर पूरी समस्या लिखकर भेजे। मो पर वार्ता करके किसी भी कानूनी समस्या पर ,चाहे वह हाईकोर्ट की हो या किसी भी जिले की हो, पूरी सलाह और सहायता दी जायगी।

कानूनी सहायता लेने की विधि

समस्या से सम्बन्धित सभी कागजात की फोटो प्रति, अपनी आई0डी0 व दो फोटोग्राफ के साथ मुख्यालय पर आकर सम्पर्क करे। सहायता हेतु केस का पंजीकरण कराये। पंजीकरण के बाद समस्या से सम्बन्धित मामले के अनुभवी अधिवक्ता द्वारा कानूनी सलाह दी जायेगी। सलाह से सन्तुष्ट होने पर रियायती पर्चे में अदालती सहायता दी जायेगी।

We give legal advice and assistance in the field of -

a-Service matters. b-Criminal matters.
c-Civil matters including bank/financial recovery cases.
d-Taxation (income tax .trade tax ,service tax, excise and custom)
e-Revenue matters. f- Family disputes .

OUR SERVICES -

" DraftingoPleading
" Active LitigationoConsultation
" Legal OpinionoIntellectual Property
" Social & Public Interest Litigation

DISCLAIMERBy giving these information, you acknowledge that you on your own accord wish to know more about VIJAISHREE LAW LINKS [V.L.L], for your own information and that there has been no solicitation, invitation or inducement of any sort whatsoever or any of its team members to create an Advocate-Client relationship through this . Please note that this is not intended to be a source of advertising or solicitation and the contents should not be construed as legal advice. While the content provided is accurate as at the date of first publication, laws and regulations change frequently.

DISCLAIMERBy giving these information, you acknowledge that you on your own accord wish to know more about VIJAISHREE LAW LINKS [V.L.L], for your own information and that there has been no solicitation, invitation or inducement of any sort whatsoever or any of its team members to create an Advocate-Client relationship through this . Please note that this is not intended to be a source of advertising or solicitation and the contents should not be construed as legal advice. While the content provided is accurate as at the date of first publication, laws and regulations change frequently.

महिला कानूनी सुरक्षा कार्यक्रम

वर्तमान में महिलाओं के प्रति हिंसा एक विकराल रूप लेती जा रही है पीड़ित महिला कभी शिक्षा के अभाव में कभी जागरूकता के अभाव में कभी धन के अभाव में न्याय से वंचित है महिलाओं के प्रति हिंसा के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं यदि महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो क़ानून उन्हें बहुत से अधिकार प्राप्त है परन्तु आवश्यकता है उचित मार्गदर्शन व सहयोग की न्यायभारती ट्रस्ट उन सभी पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है

महिलाओं से संबंधित कानूनों के विषय में आज एक संक्षिप्त वार्ता प्रस्तुत है

1-शारीरिक मानसिक प्रताड़ना 498A IPC

498A IPC के अंतर्गत दर्ज मुकदमों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हिंसा का कितना भयावह रूप है परंतु यह आवश्यक है कि पीड़ित महिला व उनका परिवार न्याय के लिए उचित मार्गदर्शन वह उचित परामर्श प्राप्त करें

2-दहेज़ मृत्यु **IPC Sec** 302/304B

आंकड़ों के अनुसार आज भी हमारे देश में लगभग 8.5 हज़ार दहेज़ मृत्यु के केस दर्ज हो रहे हैं 19 दहेज मृत्यु प्रतिदिन रिकॉर्ड की जा रही है इस तरह के दहेज़ संबंधित संगेय अपराध बढ़ने का कारण क़ानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाना या न्याय में देरी होना यह आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण न्याय की आस को छोड़ देना **IPC** सेक्शन 302/304 B इस अपराध की सज़ा को निर्धारित करता है जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है

3- घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005

इसके तहत एक महिला को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसके साथ पति या उसके ससुराल वाले शारीरिक मानसिक सेक्शूअल या फाइनेंशियल तरीक़े से अत्याचार करते हैं या शोषण करते हैं तो पीड़िता उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है घरेलू हिंसा के मामले बढ़ने की वजह यह है कि महिलाएँ समाज के डर से यह अपने भविष्य के बारे में सोचकर घर पर ही रह जाती है खुल कर अपनी समस्या नहीं कह पाती आता जो महिलाएँ घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं उन्हें खुल कर सामने आना चाहिए और अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए इन सब परेशानियों से बचने के लिए जागरूक होकर अपने क़दम बढ़ाएं

4-महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013

इस अधिनियम के अंतर्गत जिन संस्थाओं में दस से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है यह अधिनियम कार्यशील महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के ख़तरे का मुक़ाबला करने के लिए युक्ति है इसके अंतर्गत यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50, हज़ार रुपये से अधिक अर्थ दंड भरना पड़ेगा तथा कारावास भी हो सकता है

5- यौन उत्पीड़न सेक्शन 509 IPC

अधिकतर यौन उत्पीड़न को महिलाओं लड़कियों या बच्चियों द्वारा संज्ञान में नहीं लाया जाता है जिसके कारण यौन उत्पीड़न की वेदना सहना महिलाओं ने अपनी अस्मिता को बचाने का माध्यम मान लिया है और यह अपराध घर से लेकर कार्यस्थल यह कहीं भी सामान्यतया अंजाम दिया जाता है किसी भी माध्यम से जैसे चित्र दिखाकर अंग विछेप कर अंग के द्वारा आदि स्त्री की लज्जा भंग करना

प्रताड़ित करना आयी पी सी सेक्शन 509 के तहत संज्ञेय अपराध है

6-छेड़छाड़ Sec 354 **IPC**

धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग यह एक ग़ैर ज़मानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ये अपराध समझौता करने योग्य नहीं है इसमें 1-5 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है

7- बलात्कार - IPC Sec 376

भारत में बलात्कार चौथा सबसे अधिक किया जाने वाला अपराध है और प्रत्येक 16 मिनट पर भारत में रेप के केस दर्ज किए जाते हैं न ये बात ही बहुत है समझने के लिए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है और क़ानून को कितना सहज समझा जा रहा है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति न्याय की चौखट तक पहुँची नहीं पा रहा या सही दिशा में सहयोग नहीं प्राप्त कर पा रहा सेक्शन 376 IPC इस अपराध के अंतर्गत सात साल या अधिक का कारावास जोकि उम्रक़ैद मे भी परिवर्तित हो सकता है का प्रावधान करती है

8-ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956

2005 से भारत में अपहरण और वह अपहरण की एक लाख से अधिक मामले सामने आए हैं नाबालिगों की उम्र का फ़ायदा उठाकर लोग उनका अपहरण कर उनका शोषण करते हैं और उन्हें जघन्य कृत्य करने के लिए मजबूर करते हैं यह अपराध नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पर हमला है और इसे रोका जाना चाहिए इस अधिनियम में सजा और जुर्माना का प्रावधान है जो की सात वर्ष या अधिक का हो सकता है

9-दी नैशनल प्लान ओफ ऐक्शन फ़ॉर दी गर्लचाइल्ड

यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या भेदभाव को समाप्त करने ,घरों के पास सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने, पुनर्वास और लड़कियों को शोषण, हमले और दुर्व्यवहार से बचाने का प्रयास करती है।

10- प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961

मातृत्व के समय महिला के रोज़गार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हक़दार बनाता है अर्थात अपने बच्चों की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है 2 बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तथा 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह है

11- विवाह विधि संशोधन विधेयक 2010

विधि इस विधेयक में तलाक़ के बाद हिंदू महिलाओं को पति की अचल व पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का प्रावधान है तलाक़ होने की स्थिति में पति की संपत्ति में पत्नी और बच्चों का अधिकार सुनिश्चित होगा विधेयक के अनुसार तलाक़ की स्थिति में पत्नी को पति की अचल संपत्ति से मिलने वाले हिस्से का प्रावधान न्यायालय करेगा

12-अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956

स्वतंत्रता के बाद भारत में वेश्यावृत्ति को दंडनीय अपराध बनाया गया तथा वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 भारत की संसद द्वारा बनाया गया इस अधिनियम के अनुसार अनैतिक कामों के लिए स्त्री पुरुष या बच्चों की ख़रीद और बिक्री करना अवैध दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है जो दंडनीय अपराध है

13- दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम 1961

दहेज प्रथा एक सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था है जिसके अनुसार विवाह के समय बिता अपनी बेटी को ससुराल विदा करते समय कुछ तोहफ़े और धन भी भेजता है जब तोहफ़ा बिना किसी पूर्व शर्त के दिए जाते हैं तो वह दहेज नहीं माना जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना देना दोनों अपराध है

14- विशेष विवाह अधिनियम 1954-

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 और 7 को भारत के संविधान के तहत शून्य, अमान्य और अधिकारातीत के रूप में घोषित करने की माँग करने वाली याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि अधिनियम के पीछे की मंशा इसमें शामिल विभिन्न पक्षों के हितों के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय रखने की है, और अगर धारा 7 के तहत आवश्यक 30 दिनों का नोटिस नहीं दिया जाता है, तो यह सम्भव नहीं है कि विवाह के लिये इच्छुक व्यक्तियों की विश्वसनीयता को परखा जा सके।

15- गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971-

रमा सोनी
एडवोकेट हाईकोर्ट

इस क़ानून के अंतर्गत महिलाएँ कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात करा सकती हैं। गर्भ समापन के लिए 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं अथवा जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, लेकिन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, को माता पिता या पति (यदि कोई नाबालिक लड़की की शादी हो गई हो) की लिखित इजाज़त की ज़रूरत होती है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को केवल स्वयं की स्वीकृति देनी ज़रूरी है। हमारे देश में प्रतिवर्ष क़रीब 40 लाख महिलाएँ गर्भपात कराती हैं। इसके तहत गर्भपात की अनुमति के लिए गर्भधारण की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह निर्धारित की गई है।

16- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984-

इस अधिनियम के माध्यम से पारिवारिक विवाद निपटाने के लिए एक अलग से न्यायालय बनाया गया। किसी भी बड़ी आबादी के शहर में एक कुटुंब न्यायालय की स्थापना होती है इस अधिनियम का मूल लक्ष्य है कि परिवार में उत्पन्न होने वाले विवादों को कोसमझौते के माध्यम से निपटा दिया जाए। कुटुंब न्यायालय में तलाक़ से संबंधित मामलों, जुडिशियल सेपरेशन से संबंधित मामलों, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना से संबंधित मामलों, भरण पोषण से संबंधित मामलों, बच्चों की कस्टडी से संबंधित मामलों, पति पत्नी के बीच होने वाले संपत्ति के विवाद से संबंधित मामलों को सुना जाना है।

17- स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण

सांसद द्वारा52 में पारित तिहत्तर वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में सभी निर्वाचित कार्यालय में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई सुनिश्चित करते हैं

18- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976-

केंद्र सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के प्रावधानों का कर्मचारियों जिन्हें फार्म छ में कर्मचारियों के रोल का रखरखाव करना अपेक्षित है, द्वारा संगत पंजिकाओं। अभिलेखों को प्रस्तुत कर पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, कार्य की जाँच करने के उद्देश्य से निरीक्षक के रूप में श्रम एन्फ़ॉर्स्मेंट अधिकारियों की नियुक्ति की है।

19- राष्ट्रीय महिला आयोग

भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है महिला आयोग शिकायत व स्वत: संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए क़ानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है

20-राष्ट्री य महिला सशक्तीकरण नीति (2001)

इस नीति के अंतर्गत जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांत प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्यत को महिलाओं के पक्ष में सकारात्महक भेदभाव के उपाय करने की शक्तिक भी प्रदान करता है।

21-बेटियों को सम्पत्ति में अधिकार

2005 में हिंदू उत्त्राधिकार कानून में संशोधन हुआ। इसके बाद बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझीदार बना दिया गया। बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया कि वह कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती है। साथ ही शादी टूटने की स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह सकती है यानी पिता के घर में भी उसका उतना ही अधिकार होगा जिनता बेटे को है। पिछले साल एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को समान उत्ताराधिकारी का दर्जा दे दिया था। इसके बाद बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एवं उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से ही प्रभावी हो गया है इस नए अधिनियम ने पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है।

यह अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्रदान करता है;

(क) वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, (ख) खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार (ग) अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से संरक्षित रहने का अधिकार, (घ) प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRCs) ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला विवाद निवारण आयोग के अधिकार क्षेत्र को तय कर दिया है। राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग, 10 करोड़ रुपये से अधिक की शिकायतों को सुनेगा जबकि राज्य विवाद निवारण आयोग, उन शिकायतों की सुनवाई करेगा जो कि 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम हैं। जिला विवाद निवारण आयोग, उन शिकायतों को सुनेगा जिन मामलों में शिकायत 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए तीन स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की घोषणा करता है, जिनमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं। अधिनियम उपभोक्ता आयोग के हर स्तर के आर्थिक क्षेत्राधिकार को भी निर्धारित करता है। अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, जिला आयोगों को उन शिकायतों को देखने को अधिकार है, जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपये से ज्यादा न हो। राज्य आयोगों के अधिकार क्षेत्र में वे शिकायतें आती हैं, जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो, लेकिन 10 करोड़ रुपये से ज्यादा न हो। वहीं राष्ट्रीय आयोग उन शिकायतों पर विचार करेगा, जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान का मूल्य 10 करोड़ रुपये से ज्यादा हो।

उपरोक्त नियमों के अधिसूचित होने के साथ, अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ नए आर्थिक क्षेत्राधिकार इस प्रकार होंगे :

1. जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी, जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपये से ज्यादा न हो।

2. राज्य आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी, जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपये से ज्यादा हो, लेकिन 2 करोड़ रुपये से ज्यादा न हो।

3. राष्ट्रीय आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी, जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 2 करोड़ रुपये से ज्यादा हो।

उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 कहता है कि हर शिकायत का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाएगा और विपक्षी पार्टी को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर शिकायत पर फैसला करने का प्रयास किया जाएगा, जहां शिकायत के कमोडिटीज के विश्लेषण या जांच की जरूरत न हो और यदि कमोडिटीज के विश्लेषण या जांच की जरूरत होने पर शिकायत के निस्तारण की अवधि 5 महीने होगी।

अधिनियम शिकायतों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत दर्ज करने का विकल्प देता है। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देने के लिए, केन्द्र सरकार ने ई-दाखिल पोर्ट बनाया है जो देश भर के उपभोक्ताओं को सुविधाजनक रूप से संबंधित उपभोक्ता फोरम से संपर्क करने, यात्रा करने और अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए वहां मौजूदगी की जरूरत को समाप्त करने के उद्देश्य से एक झंझट मुक्त, त्वरित और किफायती सुविधा प्रदान करता है। ई-दाखिल में ई-नोटिस, केस दस्तावेज डाउनलोड लिंक और वीसी सुनवाई लिंक, विपक्षी पार्टी द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने, शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्युत्त दाखिल करने और एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजने जैसी कई खूबियां हैं। वर्तमान में, ई-दाखिल की सुविधा 544 उपभोक्ता आयोगों को उपलब्ध हैं, जिसमें 21 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय आयोग और उपभोक्ता आयोग शामिल हैं। अभी तक, ई-दाखिल पोर्टल के इस्तेमाल से 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं और 43,000 से ज्यादा उपयोगकर्ताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

उपभोक्ता विवादों को निपटाने का एक तेज और सौहार्दपूर्ण तरीका उपलब्ध कराने के लिए, अधिनियम में उपभोक्ता विवादों को दोनों पक्षों की सहमति के साथ मध्यस्थता के लिए भेजने का प्रावधान है। इससे न सिर्फ विवाद में शामिल पक्षों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी मदद मिलेगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नए नियमों में जिला आयोगों (district commissions) के पास 50 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं या सेवाओं की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा, जबकि पहले की सीमा 1 करोड़ रुपये तक थी. वहीं राज्य आयोगों (State commissions) के पास अब 50 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक के क्षेत्राधिकार होंगे. इसके पहले राज्य आयोग लिए सीमा 1 करोड़ रुपये से ज्यादा और 10 करोड़ रुपये तक थी.

उपभोक्ताओं की रक्षा करते हैं जो कि निम्नलिखित हैं-

1. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872

2. वस्तुओं की बिक्री अधिनियम, 1936

3. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

4. वजन और माप अधिनियम, 1976

5. खतरनाक ड्रग्स एक्ट, 1952

6. कृषि उत्पाद अधिनियम, 1937

7. भारतीय मानक संस्थान (ISI) अधिनियम, 1952 आदि

लेकिन इन कानूनों में सिविल सूट दाखिल किया जाता है जो कि बहुत महंगा है और समय लेने वाला होता है और मामले के अंतिम निर्णय में वर्षों लगते हैं

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कौन कौन व्यक्ति उपभोक्ता है?

1. उपभोक्ता वह व्यक्ति है जिसने रुपये का भुगतान करके कुछ खरीदा हो.

2.एक व्यक्ति जिसने खुद कोई सामान खरीदा नहीं है, लेकिन खरीदार की अनुमति से सामान का उपयोग

Puneet Asthana
Director, V.L.L.

करता है; वह भी उपभोक्ता है.

3. जो व्यक्ति सामान को बेचने के उद्देश्य से खरीदता हो वह उपभोक्ता नही है.

4. स्व-रोजगार के लिए सामान खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है.

उपरोक्त लोगों के अलावा निम्न लोग भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं:

1. वह व्यक्ति जो कि वस्तु या सेवा का लाभार्थी हो

2. मृतक उपभोक्ताओं के कानूनी वारिस

3. उपभोक्ता के पति/पत्नी

4. उपभोक्ता के रिश्तेदार

क्या कोई उपभोक्ता खुद शिकायत दर्ज कर सकता है?

जी हाँ, इसके लिए उपभोक्ता को वकील करने की जरुरत नही है. उपभोक्ता स्वयं अपने केस दर्ज करा सकता है. यहां तक कि एक आम आदमी जिसने कानून की पढाई नही की है वह भी अपनी शिकायत स्वयं दर्ज करा सकता है.

उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करें

औपचारिक रूप से एक उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह शिकायत दर्ज करने से पहले विपक्षी (विक्रेता या कम्पनी) को उसकी वस्तु या सेवा में कमी के बारे में एक नोटिस में माध्यम से मामले को अवगत कराये. यदि विक्रेता या कम्पनी अपने उत्पाद या सेवा को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है तो मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है. परन्तु यदि नोटिस देने के बावजूद भी विक्रेता या कम्पनी उपभोक्ता की समस्या का समाधान नही करती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है.

LEGAL PROCEDURE FOR ANTICIPATORY BAIL

Anticipatory bail can be obtained by a person who anticipates arrest. Hence, anticipatory bail is a direction to release a person on bail, even before the person is arrested. Anticipatory bail is applied for under Section 438 of the Cr. P.C. Arrests are mainly made after a criminal complaint to secure the appearance of the accused at the time of trial and to ensure that, if guilty, he/she is available for sentencing. However, if the presence of the accused can be reasonably guaranteed during the period of trial and sentencing, then it would be unjust and unfair to deprive the accused of his/her liberty during the trial period. Hence, if the courts believe that it would be unjust and unfair to arrest a person during the trial, anticipatory bail is granted. It is advisable to engage a criminal lawyer once a criminal complaint or FIR has been lodged. Once engaged, a suitable course of action including the application for pre-arrest notice, notice bail or anticipatory bail can be decided upon..When the matter comes up for hearing, the Lawyer must appear and present the case. If the judge sees the case as fit, anticipatory bail is provided to the accused. In case anticipatory bail application is rejected in the Sessions Court, the application can be made in the High Court. If the High Court also rejects the bail, the application can be made in the Supreme Court. Provided that where the High Court or, as the case may be, the Court of Session, has not passed any interim order under this sub-section or has rejected the application for grant of anticipatory bail, it shall be open to an officer in-charge of a police station to arrest, without warrant, the applicant on the basis of the accusation apprehended in such application.

मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए विधिक सहायता

विजय श्री लीगल लिंक एवं न्याय भारती ट्रस्ट के सहयोग द्वारा मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए विधिक सहायता एवं सलाह का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, पीड़ित व्यक्ति किसी भी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने का हक रखता है, इसके लिए न्याय भारती ट्रस्ट द्वारा कानूनी सहायता की व्यवस्था बहुत समय से की जा रही है। यदि आप किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अपना पंजीकरण करा कर या मुख्यालय पर आकर या व्हाट्सएप पर समस्या भेज कर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

सम्पर्क करे : 5/158 विराम खंड गोमतीनगर लखनऊ
मोबाइल नंबर 9450357128

LEGAL VISION- उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह पंजीकरण

उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी इसके लागू होने की तारीख नहीं तय की है। शासनादेश जारी होने की तारीख से यह नियम प्रभावी हो जाएगा। इस नियम के बाद अब किसी भी तरह की योजना, जिसमें विवाहित होने का सबूत देना होगा उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। बिना विवाह पंजीकरण के शख्स को उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा, जिनके लिए शादीशुदा होने के साक्ष्य की जरूरत है।

विवाह पंजीकरण के लिए नागरिक के पास कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए ?

आधार कार्ड ,शादी का कार्ड ,वोटर कार्ड ,आवास प्रमाण पत्र ,पति पत्नी की पासपोर्ट साइज और पते से संबंधित दस्तावेज विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक है।

विवाह प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक है ?

एक विवाहित जोड़े के लिए शादी प्रमाण पत्र वह आवश्यक दस्तावेज है जिसके माध्यम से कानूनी रूप से उनके रिश्ते को स्वीकार किया जाता है। बिना पंजीकरण के व्यक्ति की शादी को वैध नहीं माना जा सकता है।

विवाह एक धार्मिक संबंध है किन्तु अब क़ानूनी तौर पर भी इसे मान्यता मिलनी आवश्यक है यह जरुरी भी हो गया है जैसे शादी के बाद बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाने, स्पाउज वीजा हासिल करने, जॉइंट प्रॉपर्टी लेने जैसे तमाम कार्यों के लिए शादी का प्रमाण–पत्र होना जरूरी है। साथ ही ये मैरिज सर्टिफिकेट इसी प्रकार कई तरह की परेशानियों से भी मुक्त कर सकता है।

उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह पंजीकरण नियमावली को संशोधित कर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 कर दिया है, अब प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों को विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अब ऑनलाइन माध्यम से सभी व्यक्ति स्वयं ही स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की वेबसाईट पर जाकर अपना विवाह पंजीकरण आवेदन कर सकता है। इसके लिए पति तथा पत्नी को अपना पूरा विवरण भर कर सभी दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र को स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

विवाह पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज

पति तथा पत्नी का आधार कार्ड।एड्रेस प्रूफ के लिये राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड,पासपोर्ट आदि।आयु प्रमाण पत्र के लिए दसवीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र।पासपोर्ट साइज फोटो।शादी की एक जॉइंट फोटो।शादी का कार्ड।सभी डॉक्यूमेंट को खुद प्रमाणित करें (सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी में अपने साइन करें।)

आधार आधारित विवाह पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश –

- आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना अनिवार्य है।
- विवाह पंजीकरण हेतु दोनो पक्षकारो का आधार अनिवार्य है,अथवा एक पक्ष के विदेशी होने पर पासपोर्ट होना आवश्यक है।
- निवास के पते में वही पता भरें, जिसका प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं।
- तद्पश्चात विवाह का स्थान व तिथि की प्रविष्टि करें।
- आवेदन प्रपत्र को पूर्ण सुरक्षित करने के उपरांत आवेदन पत्र संख्या एवं पासवर्ड उपलबध होगा। कृपया आवेदन संख्या एवं पासवर्ड को अपने पास सुरक्षित रखें।
- पति पत्नी सहित दो साक्षियों के पहचान,निवास,आयु प्रमाण व शपथ पत्र की साफ फोटोकॉपी (प्रारूप श्त्ब्द्ध,द्ध) अपलोड करें। (अधिकतम 70 KB से बड़ा नहीं होना चहिये)
- प्रपत्र को पूर्णरूप से सुरक्षित करने के बाद पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
- भुगतान के पश्चात भुगतान रसीद का प्रिंट आउट ले कर सुरक्षित रखें।
- पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वजनित तैयार हो जाएगा।
- वर एवं वधू को शपथ पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है।
- अपलोड किये गये प्रमाण पत्र व शपथ पत्र अधूरा या त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।
- शपथ पत्र को नोटरी से प्रमाणित करने के बाद ही अपलोड (upload) करें।

नोट :– संशोधित होने के बाद उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के अनुसार अब प्रति वर्ष विलम्ब शुल्क के रूप में 50 रूपये लिये जायेंगें।

उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण हेतु दोनो पक्षकारो में से कोई एक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो या विवाह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अंदर सम्पन्न हुआ हो।

भारत सरकार के द्वारा दी जाने उन सभी सरकारी योजनाओं एवं अन्य प्रकार की सभी सेवाओं का लाभ नागरिक यूपी विवाह प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्राप्त कर सकते है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग व्यक्ति एक वैध दस्तावेज के रूप में प्रयोग कर सकते है।

यदि कोई भी शादी से नाखुश हैं तो उन्हें तलाक लेने का पूरा हक़ है। इसके लिए तलाक के नये नियम 2021 के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है।

तलाक या डिवोर्स लेने के कई कारण हो सकते हैं-

- पति या पत्नी में से कोई भी एक शादी के बाहर किसी अन्य के साथ में यौन संबंध बनाता है। इसे अडल्ट्री कहा जाता है। और अगर ऐसा है तो एक साबुत भी आपके तलाक़ लेने लिए काफी है।
- शादी के बाद अगर पति या पत्नी एक–दूसरे को किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक क्रूरता से नुक़सान पहुंचाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी डिवोर्स हो सकता है। इसमें खाना न खाने देना, अपशब्दों का उपयोग, बाहर न निकलने देना, बात करने पर मनाही, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना जैसे कई कारणों को तलाक़ के नियमों में शामिल किया गया है।
- यदि पति या पत्नी में से कोई सात साल या उससे अधिक समय से गायब हैं, तो उन्हें कानून की नजर में मृत मान लिया जाता है। यदि जीवित पति या पत्नी स्थानीय परिवार या जिला अदालत में यह मुद्दा उठाते हैं, तो यह तलाक के लिए एक वैध आधार बन जाता है।
- शादी होने के बाद यदि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बिना किसी उचित कारण के छोड़ दिया हो और वे दो साल से साथ में नहीं रह रहे हैं तो भी डिर्वोस हो सकता है। इसे डेज़रशन कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि डेज़रशन इमोशनल और फिजिकल भी हो सकता है जहाँ पति–पत्नी एक ही घर में रहते हैं लेकिन अपने पार्टनर से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं।
- पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति यौन रोगों का शिकार है और अगर साथ के साथ में यौन संबंध बनाने से यह रोग फैल सकता है, तो ऐसी स्थिति में तलाक दिया जाता है।
- यदि पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो धर्म परिवर्तन के आधार पर भी भारत में डाइवोर्स लॉज़ में डिवोर्स दिया जा सकता है। साथ ही, अगर पति या पत्नी धार्मिक, आध्यात्मिक या किसी अन्य कारण से दुनिया का त्याग करते हैं तो पार्टनर तलाक़ के लिए अर्ज़ी कर सकते हैं। ये तलाक़ के कानून में 'कन्वर्जन और त्याग' के रूप में लिखित है।
- अगर पति या पत्नी में से कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो ये भी तलाक़ का आधार बन सकता है। लेकिन अगर शादी से पहले पार्टनर की इस हालत का पता है तो तलाक़ के अर्ज़ी नहीं डाल सकते हैं। मानसिक अस्वस्थता एक ब्रॉड केटेगरी है और मेन्टल हेल्थ एक्ट, 2015 के अंदर आती है। ऐसे मामलों में कोर्ट में सुनवाई जल्दी होती है।

पहली शादी खत्म किये बिना यदि पति दूसरी शादी कर लेता है, तो पत्नी तलाक़ के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दाख़िल कर सकती है। तलाक के रूल में ध्यान दे, यह कानून मुस्लिम धर्म की महिलाओं पर लागू नहीं होता है क्योंकि मुस्लिम कानून में सीमित बहुविवाह की अनुमति है।

अगर पति–पत्नी दोनों आपसी रज़ामंदी से तलाक़ लेना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए दोनों का एक साल से अलग रहना सबसे पहला कदम होता है। उसके बाद वे कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसमें कोर्ट के समक्ष दोनों के बयान रिकॉर्ड करे जाते हैं और सिग्नेचर लिए जाते हैं। इसके बाद दोनों को पुनः विचार करने के लिए छह महीने का वक्त दिया जाता है। और छह महीने पूरे होने के बाद अगर वे तलाक़ लेना चाहते हैं तो कोर्ट में उनके तलाक़ को मंजूरी दे दी जाती है। हालांकि ये कूलिंग पीरीयड् ज़रूरी नहीं है। अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता है।

सबसे पहले आपको जिस आधार पर डाइवोर्स (divorce) तलाक लेना है, वो सुनिश्चित करें और उसके सबूत जुटाना शुरू करें। इसके बाद कोर्ट में सारे कागजों और सबूतों के साथ अर्जी दाखिल करें। इसके बाद कोर्ट दूसरे पार्टनर को नोटिस भेजेगी। नोटिस के बाद अगर पार्टनर कोर्ट नहीं पहुंचता है तो मामला एकपक्षी रह जाता है और तलाक लेने वाले पार्टनर को कागजों के हिसाब से फैसला सुना दिया जाता है। वहीं अगर नोटिस के बाद दूसरा पक्ष कोर्ट पहुंचता है तो दोनों की सुनवाई होती है और ये कोशिश की जाती है कि मामला बातचीत से सुलझ जाए। अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो केस करने वाला पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करता है।लिखित बयान 30 से 90 दिन के अंदर होना चाहिए। इसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई होती है और सबूतों व दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाती है। ये प्रक्रिया कई बार कई समय तक खींच जाती है। इस तरह के तलाक़ में न्यायालय कस्टोडियल अधिकारों को तय करते समय बच्चे के हित में निर्णय लेती है।

ए.पी.एन. लॉ इंस्टिट्यूट
A. P.N . LAW INSTITUTE

एल.एल.बी.छात्र/ छात्राओं हेतु प्लीडिंग ड्राफ्टिंग व एडवोकेसी की ट्रेनिंग हेतु

प्रवेश प्रारंभ

अध्ययन के दौरान ही प्लीडिंग ड्राफ्टिंग सही ढंग से सीखना व जानना काफी जरुरी होता है ए.पी.एन. लॉ इंस्टिट्यूट द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रबंध किया गया है जिसमें इंस्टिट्यूट द्वारा सभी जैसे सिविल क्रिमिनल फैमिली कंज़ूमर रेवेन्यू सभी अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर समयानुसार तीन माह की ट्रेनिंग नियत शुल्क पर दिए जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें दो दिन की थ्योरी कक्षायें तथा चार दिन कोर्ट की प्रैक्टिकल जानकारी अनुभवी अधिवक्ताओं द्वारा दी जा रही है और कोर्स समाप्त करने के पश्चात सर्टिफिकेट दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। ट्रेनिंग के उपरांत उनकी कार्य क्षमता पर आधारित पारिश्रमिक भी दिया जायेगा।

इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश अथवा अन्य जानकारी हेतु

मुख्यालय 5/158 विराम खंड गोमती नगर, लखनऊ में सम्पर्क करें अथवा whatsapp 9450357128 पर सम्पर्क करें।

श्री नीरज कुमार प्रजापति, एडवोकेट हाई कोर्ट, मो 9889702770 द्वारा आकाशवाणी केन्द्र लखनऊ से दिनांक 8 जनवरी 2022 को प्रसारित वार्ता के अंश

भारत में कॉपीराइटएक्ट,1957 में अस्तित्व में आया था। भारत का अपना कॉपीराइटएक्ट, जो कि 1958 में लागू हुआ था। यह एक प्रकार का INTELLECTUAL प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है,यह ओनर का EXCLUSIVE राईट है, उदाहरण के लिए अगर आप कोई किताब लिखे, और यदि उस पर आपका कॉपीराइट हो, तो आप उसे republish कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, और बेच भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसे आपसे permission लेनी होगी क्योंकि आप उस किताब के असली मालिक है। इसलिए आपसे अनुमति के बिना कोई भी आपकी किताब को publish या कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह कॉपीराइट का उल्लंघन है। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉपीराइटएक्ट के तहत सिर्फ लेख, फोटो, विडियो और music ही आता है तो ऐसा नही है। इसके अंतर्गत बहुत सारे content को protect किया जाता है जैसे

1. literrarywork like story, song,poem, novel
2. musicalwork likesoundrecording, soundeffect
3. darmaticactivity like play movieandTV show
4. Graphical activity likephotography, map, cartoon, statue
5. कोरियो ग्राफिक activitylike gesture, facial e&pression
6.additional activity like audiovisual work

इतनी सारी कैटेगरी के अंतर्गत कॉपीराइट दिया जाता है

अब हम बात करते है कि कॉपीराइट कराना क्यों जरुरी होता है ? कई बार होता क्या है कि, लोग आपकी creativity की चोरी कर लेते हैं, और आपकी सारी मेहनत का फायदा उठा लेते है, तो यदि आपके पास आपकी creativity का कॉपीराइट होगा तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कारवाही कर सकते हैं।

यदि कोई ऐसी रचना जिस पर आपका कॉपीराइट नहीं है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति का कॉपीराइट है और आप उसका उपयोग करते हैं तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन अर्थात infringement आफ कॉपीराइट माना जाएगा। कॉपीराइट के उल्लंघन के संबंध में प्रावधान कॉपीराइट अधिनियम1957 के अंतर्गत समाहित किया गया है, जिसमें कुछ दशाएं बताई गई है कि कब कॉपीराइट का उल्लंघन होगा।

मान ले कि किसी व्यक्ति द्वारा produce किया गया work कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत protected है और यदि आप उस content को उपयोग में लेना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप कॉपीराइट होल्डर से परमिशन ले ले और उपयोग में लेने से पहले ओनर के term of use को जरूर जान ले, अन्यथा कॉपीराइट holder आप पर कॉपीराइट Uinfringment का केस फाइल कर सकता है। अब यदि कोई व्यक्ति कॉपीराइट Uinfringement का दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से 3 साल तक का करावास, और पचास हज़ार से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। भारत में कॉपीराइटसंबंधी मामलों का निस्तारण कॉपीराइट एक्ट1957 की धारा 11 के अधीन गठित कॉपीराइट board द्वारा किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में कॉपीराइट बौद्धिक संपदा से जुड़ा एक लीगल राइट ह, जो बौद्धिक संपदा को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता देता है, यह कॉपीराइट होल्डर को उसके ओरिजिनल वर्क को कॉपी, मॉडिफाई, रीप्रोड्यूस, Publish और सेल करने का अधिकार देता है।

Neeraj K.Prajapati
Advocate High Court

नोटः– कॉपीराईट सम्बन्धी किसी भी विषय पर कानूनी सहायता और सलाह के लिए कृपया नीरज कुमार प्रजापति से इस नंबर पर संपर्क करें 9450357128, 9889702770

पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है, जो आपके लिए पूर्वज छोड़कर जाते हैं, चार पीढ़ियों तक। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन से पहले, परिवार के केवल पुरुष सदस्य ही प्रतिपक्षी थे, लेकिन बाद में बेटियों को भी एक हिस्सा पाने का हकदार बना दिया गया। ऐसी संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार जन्म से ही मिल जाता है।

भारत में विरासत दो प्रक्रियाओं द्वारा शासित है – 1. वसीयत द्वारा 2. व्यक्तिगत कानून द्वारा

एक वसीयत के तहत विरासत

एक वसीयत या वसीयतनामा एक व्यक्ति की इच्छाओं को व्यक्त करते हुए एक कानूनी घोषणा है, जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों के नाम शामिल हैं जो वसीयत कर्ता की संपत्ति का प्रबंधन कर रहे हैं और मृत्यु पर मृतक की संपत्ति का हस्तांतरण प्रदान करते हैं।

यदि एक पिता (टेस्टेटर) वसीयत पीछे छोड़ देता है, तो संपत्ति भाइयों के बीच वितरित की जाएगी। एक निष्पादक को वसीयत कर्ता द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासक से अलग माना जाता है।

व्यक्तिगत कानून के अनुसार विरासत

भारत में विरासत और जिस तरीके से मृत व्यक्ति की संपत्ति को वितरित किया जाना है, वह उत्तराधिकार के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, जहां ऐसे व्यक्ति या मृत व्यक्ति के इरादे की घोषणा करने वाले समकक्ष दस्तावेज नहीं होते हैं।

हिंदू कानून के तहत

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 और 9 हिंदू नर की मृत्यु के बाद संपत्ति के वितरण को नियंत्रित करती है। एक हिंदू के बिना वसीयत मरने पर संपत्ति कक्षा 1 के उत्तराधिकारी को जाती है जो अन्य सभी उत्तराधिकारियों के अपवाद के बाद संपत्ति ले लेता है। और यदि कक्षा 1 नहीं तो कक्षा 2 वारिस को जाती है।

उदाहरण के लिए, यदि पिता अपनी पत्नी और चार बेटों के पीछे छोड़कर मर जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति के बराबर हिस्से का वारिस होगा, यानी प्रत्येक को पिता की संपत्ति का पाँचवां हिस्सा मिलेगा।

मुस्लिम कानून के तहत

मुस्लिम कानून में जन्म से पैतृक संपत्ति या इस तरह के अधिकारों की कोई अवधारणा नहीं है। इस्लाम यह मानता है कि व्यक्ति वसीयत अपने पीछे छोड़ सकता हैं, लेकिन एक वसीयत (जब तक वसीयत पीछे छोड़ने वाले व्यक्ति के सभी वारिस द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है) मृतक की संपत्ति के एक-तिहाई हिस्से तक ही मान्य है। जैसा कि यह मान्य है, यह भारत में वसीयत के लिए लागू नियमित कानूनों द्वारा शासित है।

- एक मुस्लिम पत्नी को बेदखल नहीं किया जा सकता है।
- भले ही उसे एक से अधिक पत्नी होने पर अन्य पत्नियों के साथ साझा करना पड़े।
- विधवा को एक निश्चित हिस्सा मिलता है।
- मुस्लिम कानून पुरुष वारिस / बेटों को महिला / बेटियों से दोगुना हिस्सा देता है।

वितरण की कानूनी प्रक्रिया

मृतक द्वारा छोड़ी गई किसी भी संपत्ति का दावा करने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई ऋण बकाया नहीं है। सभी वारिसों को पहले ऋण को चुकाने की रणनीति तैयार करने के लिए सहमत होना होगा।

यदि संपत्ति उनके पिता द्वारा छोड़ी गई वसीयत के अनुसार भाइयों के बीच वितरित की जानी है, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वसीयत में कोई अस्पष्टता नहीं है और किसी भी तरह के समझौते पर पहुंचने के लिए कानूनी सलाह मांगी जानी चाहिए। वसीयत में स्पष्टता की कमी, बाद के चरण में गंभीर कानूनी जटिलताओं का कारण बन सकती है, जिसे शुरुआत में सही दिशा में काम करके बचाया जा सकता है।

यदि कोई वसीयत नहीं है, तो एक संपत्ति को विभाजन विलेख या पारिवारिक निपटारे के माध्यम से वितरित किया जा सकता है।

विभाजन का मुक़दमा – संपत्ति के संबंध में किसी एक या सभी भाइयों द्वारा विभाजन का एक मुकदमा दायर किया जा सकता है। संपत्ति के लिए एक विभाजन विलेख अलग-अलग लोगों में, आमतौर पर परिवार के सदस्यों के बीच निष्पादित किया जाता है।

पारिवारिक निपटान प्रक्रिया – एक पारिवारिक निपटान एक समझौता है जहां पारिवारिक सदस्य पारस्परिक रूप से कार्य करते हैं कि संपत्ति को अपने बीच कैसे वितरित किया जाना चाहिए। सभी पक्षों को एक-दूसरे से संबंधित होना चाहिए और विवादित संपत्ति के हिस्से का दावा करना चाहिए।

पारिवारिक निपटान एक समझौता प्रक्रिया है जहां एक तीसरा व्यक्ति, आमतौर पर एक वकील या एक वरिष्ठ परिवार सदस्य, परिवार को संपत्ति विवाद के पारस्परिक स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने में मदद करता है।

मकान का बंटवारा कैसे करे ? अगर नाप तौल से संभव नहीं तो बेचकर उस रकम का बंटवारा कर सकते हैं या कोई पूरी कीमत देकर अन्य को उनका हिस्सा दे मकान अपने पास रखले । यदि नाप तौल से बटबारा होता है तो सब की सहमति से कुरे(भाग) बना ले और आपसी सहमति से बाट ले कमअधिक तो होता ही है ।

संपत्ति का बंटवारा कैसे करें
(Patrik Sampatti Ka Batwara Kaise Karen)

अगर आप प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा लोगों के बीच बटवारा करना चाहते हैं तो आपको बटवारानामा बनवाना होगा। यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके जरिए कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी के सभी वारिसों को हिस्सा दिया जाएगा। प्रॉपर्टी के बंटवारे के बाद हर हिस्से की प्रॉपर्टी को नया टाइटल दिया जाता है और हर सह मालिक दूसरे व्यक्ति के हिस्से में अपना हित छोड़ देता है।

बटवारानामा एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें संपत्ति का सरेंडर और अधिकारों का ट्रांसफर शामिल होता है। जिस व्यक्ति को संपत्ति का जो हिस्सा मिलता है वह उस हिस्से का नया मालिक बन जाता है और वह अपनी मर्जी से उस संपत्ति को बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार आ जाता है।

वसीयत के बारे में जानिए

श्रीमती मंजू शर्मा
एडवोकेट हाईकोर्ट

अगर वसीयत किए बिना किसी की मौत हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार बांटा जाएगा. वसीयत या विल एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि कोई मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति कैसे बांटना चाहता है.

वसीयत या विललिखना एक अच्छी वित्तीय योजना का अंतिम चरण है. यह आपको अपनी विरासत सही हाथों में पीछे छोड़कर जाने की सहूलियत देता है. यह सुनिश्चित करता है कि आपके उत्तराधिकारी आपकी मेहनत का सही लाभ उठा सकें.

वसीयत या विल एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि कोई अपने न रहने पर अपनी संपत्ति कैसे बांटना चाहता है. यह नीचे बताए गए कामों में सक्षम बनाती है। अपनी इच्छानुसार संपत्ति का सही विभाजन। व्यवसाय की निरंतरता के लिए प्रावधान। –नाबालिग बच्चों के लिए ट्रस्ट व और अभिभावक नियुक्त करना। विल न केवल आपको अपने प्रियजनों को शामिल करने की सहूलियत देगी, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल करेगी, जो आपकी विरासत के योग्य नहीं हो सकते हैं. यदि आप कोई संपत्ति रखते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ना चाहते हैं, जो आपका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपको एक वसीयत बनानी होगी.

अगर आप वसीयत नहीं बनाते हैं तो क्या होता है? अगर वसीयत किए बिना किसी की मौत हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार विभाजित और वितरित किया जाएगा. हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है. इससे संपत्ति गलत हाथों में पड़ सकती है या कुछ खास लोग जिन्हें आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, को बाहर रखा जा सकता है. यह मानते हुए कि आपने अपना पूरा जीवन अपनी संपत्तियों के निर्माण में बिताया है, अंत में इसे कौन प्राप्त करता है, इसका पूरा नियंत्रण बनाए रखना शायद एक अच्छा विचार है। पारिवारिक कलह और मुकदमेबाजी हो सकती है. एक स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखित वसीयत वारिसों के बीच किसी भी टकराव से बचाने में मदद करती है.

विल नहीं बनाने के लिए क्यां होते हैं सामान्य बहाने ?–मैं युवा हूं–कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि वे बहुत छोटे हैं, केवल उम्र के साथ आने वाली प्राकृतिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं. लेकिन, आकस्मिक मृत्यु के बारे में क्या? आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जीवन में क्या होता है. बहुत से लोग सोचते हैं कि वसीयत बनाना कुछ ऐसा है जो आपको अपने जीवन के अंत में करना है. लेकिन, यह सभी आयु समूहों के लिए जरूरी प्रक्रिया है. –मेरे पति को वैसे भी सब कुछ मिल जाता है। –यह जटिल है यदि विल बनाना जटिल है, तो उन जटिलताओं की कल्पना करें जो विल नहीं बनाने के साथ आती हैं.

वसीयत या किन किन बातों का रखें ध्यांन ?

कई निवेशकों का तर्क है कि उनकी अधिकांश संपत्ति में नामांकन है. लेकिन, एक व्यापक गलतफहमी है कि एक नॉमिनी किसी संपत्ति का अंतिम लाभार्थी होता है. एक नॉमिनी सिर्फ संपत्ति का ट्रस्टी या केयरटेकर होता है, मालिक नहीं. वह केवल किसी की मृत्यु के बाद संपत्ति को सही कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए नियुक्त किया जाता है. वसीयत एक सर्वोच्च दस्तावेज है. यदि किसी नॉमिनी को अदालत में चुनौती दी जाती है, तो वसीयत या उत्तराधिकार कानूनों में एक नॉमिनी को ओवरराइड करने की शक्ति होती है. जिसका अर्थ है कि नॉमिनी संपत्ति पाने के लिए जरूरी नहीं है. इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नामांकन करने के बावजूद वसीयत भी बनाई जाए.

–कई बार केवल परिवार का मुखिया ही विल तैयार करने के बारे में सोचता है. लेकिन, पारिवारिक संपत्ति सदस्यों में फैली हुई है, तो सुनिश्चित करें कि परिवार में सभी संपत्तिधारकों के पास वसीयत हो.

–नाबालिग बच्चों वाले परिवारों के लिए एक वसीयत बनाना बिल्कुल जरूरी है. यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में माता–पिता दोनों विल के बिना मर जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं मान्यं होगा कि बच्चे और संपत्ति की देखभाल कैसे की जाए. विल छोटे बच्चों के लिए ट्रस्टी या संरक्षक नियुक्त करने की सुविधा देती है.

–किसी वसीयतकर्ता द्वारा की गई कोई भी वसीयत रद्द हो जाती है अगर वह शादी कर ले. मतलब किसी व्यक्ति की शादी से पहले लिखी गई सभी वसीयतें अमान्य हैं. कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के लिए शादी करने के बाद विल को फिर से लिखना होगा.

वसीयत करने का क्या तरीका है?

चूंकि आपकी विल शायद सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिस पर आप हस्ताक्षर करते हैं. इसलिए सलाह दी जाती है कि जब आपके पास समय हो और तसल्लीत हो तब शांत मन से इसके लिए बैठें. किसी भी भूमि, अचल संपत्ति, बैंक जमा, शेयर, जीवन बीमा, सोना, व्यक्तिगत विरासत और अन्य निवेश सहित अपनी सभी परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करके इसकी शुरुआत करें. आप अपनी बकाया देनदारियों पर भी ध्यान दें।

किस तरह के निर्णय लेने की जरूरत होगी?– अपने लाभार्थियों का फैसला करें। –नाबालिग बच्चों के लिए अभिभावक तय करें। अपने व्यवसाय, एचयूएफ, आदि के लिए उत्तराधिकार की योजनाएं तय करें. –दो गवाहों का चयन करें. गवाहों को विल में लाभार्थी नहीं होना चाहिए. कुछ मामलों यह विल को अमान्य बना सकता है। ऐसे गवाह चुनें, जिसे मौत से कोई फायदा नहीं हो। इसका मसौदा तैयार करने के लिए एक उचित वकील की सेवाएं लें. जब तक यह एक सीधा मामला नहीं हो, तब तक इसे स्वयं करने का प्रयास न करें.

–भारतीय कानूनों के अनुसार, इसे पंजीकृत करना या स्टैंवप पेपर पर लिखना जरूरी नहीं है. हालांकि, आप रजिस्टर करते हैं, तो यह केवल इसकी प्रामाणिकता पर उठाए गए किसी भी संदेह का अंत करता है. आपके क्षेत्र के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में विल पंजीकृत होती है।

Rent Agreement (किरायानामा) क्या है ?

Mrs. Chandana Ghoshal
Advocate High Court

Rent Agreement यानी किरायानामा उसे कहते हैं, साधारण भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को किराए पर देने के लिए संपत्ति के मालिक और किराएदार के मध्य इकरारनामा होता है 7 पहले के समय यह सब मौखिक हुआ करते थे।

लेकिन आजकल किराए पर देने से पहले कानूनी प्रक्रिया निभानी पड़ती है जिसे **Rent Agreement** किरायानामा कहा जाता है , आजकल लोगों के पास एक से अधिक संपत्ति होने पर वह अपनी आय का साधन भी किराया बना लिया जाता है उन लोगों को अधिक जरूरत पड़ती है जिनकी संपत्तियां अधिक है उन व्यक्तियों को रेंट एग्रीमेंट की बहुत जरूरत होती है **Rent Agreement** के अंतर्गत सभी शर्तों के अनुसार **Rent Agreement** किया जाता है मासिक किराया कितना होगा मेंटेनेंस कितना होगा कितने महीनों तक यह वैलिड रहेगा इन सब का वर्णन उसके अंदर जो कि दोनों पक्ष कार अपनी सहमति से पढ़ कर उस इकरारनामा को किया जाता है

Rent Agreement (किरायानामा) बनाने की प्रक्रिया ?

Rent Agreement या किरायानामा बनने की क्या प्रक्रिया होती है प्रथम दृष्टया मकान मालिक व किराएदार के मध्य एक ऐसा लिखित इकरारनामा होता है जो कि पूर्ण रूप से कानूनी रूप से होता है जोकि रु 500 के नाम पर ही वैध माना जाता है पहले किराया नामा रु 50 व रु 100 के स्टांप पर बनाया जाता था लेकिन सरकार द्वारा अब **Rent Agreement** या किरायानामा रु 500 के स्टांप पर ही वैध माना जाता है।

जिसे मकान या संपत्ति या कोई दुकान किराए पर लेनी है उसके द्वारा रु 500 का स्टांप क्रय करना होता है और उस स्थान पर दोनों को मतलब मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से शर्तें लिखते हैं और दोनों पक्षकारों के उस पर हस्ताक्षर होते हैं और सरकार द्वारा अधिकृत नोटरी पब्लिक द्वारा वह अटेस्टेड किया जाता है जिसमें गवाह की भी आवश्यकता होती है इस प्रकार हम पूर्ण रूप से बनवा सकते हैं यह एक कानूनी दस्तावेज होता है कानूनी लड़ाई में भी किराए नामे का या **Rent Agreement** का बहुत अहम भूमिका होती है।

Rent Agreement या किरायानामा बनाते समय किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?

रेंट एग्रीमेंट बनाते समय आपको किन–किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है वे इस प्रकार है

1. किरायानामा बनाते समय सबसे पहले रु 500 का स्टांप पेपर की जरूरत होती है।

2. दूसरा यह किरायानामा बनाते समय दोनों पक्षकारों के आधार कार्ड ओरिजिनल वे उनकी फोटो प्रति दोनों होना अति आवश्यक है

3. तीसरा किरायानामा बनाते समय दो गवाहों के ओरिजिनल आईडी प्रूफ की आवश्यकता होती है

4. बनाते समय हमें जो सिक्योरिटी पेठे धनराशि या अग्रिम किराया राशि जो **Rent Agreement** में तय होती है वह राशि साथ में होनी चाहिए।

5. किराना बनाते समय दोनों पक्षकारों के पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ होना अति आवश्यक है जोकि किराए नामे के ऊपर लगाए जाते हैं और अटेस्टेड नोटरी पब्लिक द्वारा करवाया जाता है

Rent Agreement (किरायानामा) बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा बनाते समय बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है कुछ लोग किरायानामा बनाते समय इन चीजों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं इसलिए **Rent Agreement** बनवाने से पहले इन निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे

1. किरायानामा बनाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए की स्टांप पेपर ?500 का ही मान्य होता है कई लोग ?100 के स्थान पर भी किरायानामा बना लेते हैं लेकिन वह वैध नहीं होता है।

कानून किरन

5/158 विराम खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–10
मो0 –9450357128

R.N.I.NO-UP-BIL/2001/04674

सेवा में,

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वत्वाधिकारी डा0 एस.एन.पाण्डेय द्वारा आफसेट इण्डिया प्रिन्टिंग प्रेस मषकगंज, लखनऊ से मुद्रित कराकर 5/158 विराम खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ–10 (उ0प्र0) से प्रकाशित।